



उ०प्र० डिजाइन एवं शोध संस्थान, लखनऊ U.P. Institute of Design & Research, Lucknow

(सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)

हरिहरपुर, निग्र- देलही पब्लिक स्कूल, राबर्टस लाइन,

अमर शहीद पथ, लखनऊ- 226002

कार्यालय दूरभाष- 0522-3547084, वेबसाइट- www.upid.ac.in, ई-मेल-admin@upid.ac.in



पत्रांक163...../उ०प्र०डि०संस्थान(ल.) / 2026-27 दिनांक: 31/08/2026

अभिरुचि हेतु आमंत्रण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत जनपद क्रमशः लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, अमेठी, लखनऊ, आगरा तथा बरेली एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत दर्जी ट्रेड में जनपद क्रमशः सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस तथा टोकरी बुनकर ट्रेड में जनपद क्रमशः सहारनपुर, मेरठ, कासगंज, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, सम्भल, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, गाजीपुर, सोनमद्र, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोरखपुर, मऊ एवं अमेठी में प्रशिक्षण संपन्न कराये जाने हेतु सेक्टर स्किल काउंसिल से टी०ओ०टी० धारकों की आवश्यकता है।

तत्क्रम में फर्मों के चयन हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैं—

1. UP INSTITUTE OF DESIGN LKO के नाम पर धनराशि रु० 10,000.00 की फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ जमा करनी होगी जो Non Refundable होगी।
2. विगत 03 वर्षों में एक जनपद एक उत्पाद एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यादेश वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी हुआ हो।
3. धनराशि रु० 100.00 के स्टाम्प पर नॉन ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट (नोटरी सहित)।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर।
5. आधार कार्ड तथा फर्म पेन कार्ड।
6. जी०एस०टी० सर्टिफिकेट।
7. विगत 03 वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) का सी०ए० द्वारा ऑडिटिड आई०टी०आर० एवं बैलेंस सीट (UDIN सहित)।
8. विगत 03 वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) का सीए द्वारा प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट।
9. विगत 03 वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) का पॉजिटिव नेट वर्थ सर्टिफिकेट।
10. फर्म के पास उपलब्ध टी०ओ०टी० धारक/ट्रेनर की सूचना निर्धारित प्रारूप पर तथा सेक्टर स्किल काउंसिल का निर्धारित क्यूपी कोड का सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

तालिका क—

एक जनपद एक उत्पाद		
क्र०सं०	क्राफ्ट का नाम	क्यूपी कोड
1.	जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट)	HCS/Q8702, HCS/Q8704
2.	गुड़ उत्पाद	FIC/Q8501, FIC/Q9007
3.	रेशम उत्पाद	HCS/Q7301, AMH/Q1001, AMH/Q1010, AMH/Q1230, AMH/Q1407
4.	गुलाबी मीनाकारी	HCS/Q7301, G&J/Q0701
5.	बुडेन लेकर वेयर व ट्वॉयज	HCS/Q6601, HCS/Q6603, HCS/Q7102, HCS/Q6703
6.	मूँज उत्पाद	HCS/Q9004
7.	खाद्य प्रसंस्करण	FIC/Q0102, FIC/Q0103, FIC/Q0101, FIC/Q0104
8.	पेठा उत्पाद	FIC/Q8501, FIC/Q0105
9.	जरी—जरदोजी	AMH/Q1010, AMH/Q0801
10.	बांस के उत्पाद	HCS/Q8702, HCS/Q8701, HCS/Q8704, HCS/Q8705, HCS/Q8703, HCS/Q8706, HCS/Q8707
11.	लकड़ी के उत्पाद	HCS/Q6601, HCS/Q6602, HCS/Q6701, HCS/Q6801, HCS/Q6901, HCS/Q6902, HCS/Q7001, HCS/Q7101, HCS/Q7102
12.	सुनारी उद्योग	G&J/Q0611, G&J/N0612, G&J/Q0601, G&J/Q0602, G&J/N0618

तालिका ख—

विश्वकर्मा श्रम सम्मान		
क्र०सं०	ट्रेड का नाम	क्यूपी कोड
1.	दर्जी	AMH/Q0301, AMH/Q1230, AMH/Q1010, AMH/Q1947, AMH/Q0701
2.	टोकरी बुनकर	HCS/Q2001, HCS/Q2201, HCS/Q2203, HCS/Q2901, HCS/Q2908, HCS/Q2910

नोट— दोनों योजनाओं हेतु टीओटी धारकों का विवरण निम्न प्रारूप पर अलग-अलग लिफाफे में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

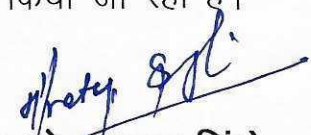
तालिका ग-

सूचना का निर्धारित प्रारूप:-									
क्र०	टी०ओ०टी० धारक/ ट्रेनर का नाम	पिता/ पति का नाम	क्राफ्ट/ ट्रेड	सेक्टर स्किल काउंसिल का नाम	सर्टिफिकेट नम्बर	वैधता/अवधि	आधार नम्बर	मोबाइल नम्बर	पता

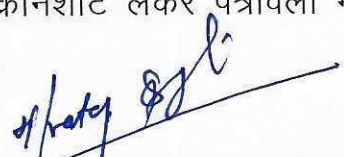
नोट- न्यूनतम 10 टी०ओ०टी० धारक उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

उक्त कार्य को करने हेतु इच्छुक फर्म दिनांक 11/09/2026 को प्रातः 11:00 बजे तक अपना आवेदन सीलबन्द लिफाफे में प्रशासनिक कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

प्राप्त आवेदनों को दिनांक 11/09/2026 को मध्याह्न 12.00 बजे सम्बन्धित कमेटी के समक्ष खोला जायेगा। एक या सभी आवेदन निरस्त करने का अधिकार निदेशक में निहित होगा। उक्त अभिरुचि हेतु आमंत्रण सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।


(माधवेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि:- श्री दीप मौर्या, सिस्टम एनालिस्ट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अभिरुचि हेतु आमंत्रण को संस्थान की बेबसाइट पर अपलोड कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर पत्रावली में संरक्षित करना सुनिश्चित करें।


(माधवेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी